COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्र0 - / 14 R-2768-II/14

निगरानीकर्ता - श्रीमति पन्ना बाई बेवा भरोसीलाल कोल
निवासी म0नं0-117 मानेगाँव थाना रांझी
तह. व जिला जबलपुर म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक - म0प्र0शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय जबलपुर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र.क्र. 476/अ/ 21 /13-14 श्रीमति पन्ना बाई विरूद्ध म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनाक 11.7.14 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर समयावधि में प्रस्तुत कर रही है ।

प्रकरण के तथ्य

1. संक्षिप्त मे निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने अति. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील क्र. 476 /अ-21 /13 प्रस्तुत की तथा कृषि भूमि मौजापडवार ख.नं. 115, 149, 152, कुल रकबा छह 1.050 हेक्टे. भूमि जो कि शामिल शरीके रूप से निगरानीकर्ता की व पुत्रियों के नाम दर्ज है गैर आदिम जाति जनजाति सदस्य श्रीमति रामकली बाई अग्रवाल पत्नि राजेश अग्रवाल निवासी ग्राम पडवार थाना बरेला तह. बरेला जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति प्रद किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय जबलपुर से अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया थ जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा अस्वीकार किया गया है तत्पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर को अपील प्रस्तुत की थी उक्त अपील 11.7.2014 को अस्वीकार कर कलेक्टर महोदय जबलपुर के पारित

..2.

R 2768 II/14 (राजस्व)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	आदि के हस्ताक्षर
24.11.16.	आवेदक को पुकार लगाई गई परन्तु कोई उप० नहीं और न ही उनकी ओर से अधि० अधिवक्ता उप० उप०. अत: प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पश्चात् पूर्ति को अभिलेखागार दाखिल किया जावे। (हस्ताक्षर) सचिव	26/10/17